



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 28 पटना, बुधवार, 20 आषाढ़ 1934 (श0)  
11 जुलाई 2012 (ई0)

### विषय-सूची

	पृष्ठ		पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-18	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	19-23	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	24-25
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	पूरक	---
	---	पूरक-क	---

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

25 मई 2012

एस0ओ0 122, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3070/जे0, दिनांक 13.09.95 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 13.09.2011 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह	अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, बिहारशरीफ	13.09.95	बी0ए0 एल0एल0बी0	नालन्दा जिला	

(सं0 सं0 ए0/नोट-10/93/4128/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

25 मई 2012

एस0ओ0 123, एस0ओ0 122, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/नोट-10/93/4128/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

*The 25th May 2012*

S.O. 122, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bindeshwari Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3070/J dated 13.09.95 to practice as notary again for the next five years from 13.09.2011.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Bindeshwari Prasad Singh	Advocate, Civil Court, Biharsharif	13.09.95	B.A L.L.B	Nalanda District	

(File no. A/Not-10/93/4128/J)  
By order of the Governor of Bihar,  
VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

25 मई 2012

एस0ओ0 124, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3997/जे0, दिनांक 08.09.92 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री उमेश कुमार शाही, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 08.09.95 से 07.09.98, दिनांक 08.09.98 से 07.09.2001, दिनांक 08.09.2001 से 07.09.2006, दिनांक 08.09.2006 से 07.09.2011 एवं दिनांक 08.09.11 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6
श्री उमेश कुमार शाही	अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, हिलसा	08.09.92	बी0ए0(प्रतिष्ठा) एल0एल0बी0	हिलसा अनुमण्डल	

(सं0 सं0 ए0/ए0बी0-65/90/4129/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

25 मई 2012

एस0ओ0 125, एस0ओ 124, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/ए0बी0-65/90/4129/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

The 25th May 2012

S.O. 124, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Umesh Kumar Shahi and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3997/J dated 08.09.92 to practice as notary from 08.09.95 to 07.09.98, 08.09.98 to 07.09.2001, 08.09.2001 to 07.09.2006, 08.09.2006 to 07.09.2011 and again next five years from 08.09.2011.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Umesh Kumar Shahi	Advocate, Civil Court, Hilsa	08.09.92	B.A(Hon's) L.L.B	Hilsa Sub-division	

(File no. A/AB-65/90/4129/J)  
By order of the Governor of Bihar,  
VINOD KUMAR SINHA, *Secretary*.

25 मई 2012

एस0ओ0 126, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-134/जे0, दिनांक 08.01.87 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अरूण कुमार महतो, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 08.01.2012 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अरूण कुमार महतो	अधिवक्ता, अनुमण्डलीय न्यायालय बीरपुर (सुपौल)	08.01.87	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	बीरपुर अनुमण्डल	

(सं0 सं0 ए0/ए0बी0-54/85/4130/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

25 मई 2012

एस0ओ0 127, एस0ओ0 126, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/ए0बी0-54/85/4130/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

*The 25th May 2012*

S.O. 126, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arun Kumar Mahto and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 134/J dated 08.01.87 to practice as notary again for the next five years from 08.01.2012.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Arun Kumar Mahto	Advocate, Subdivisional Court Birpur (Supoul)	08.01.87	B.Sc L.L.B	Birpur Sub-division	

(File no. A/AB-54/85/4130/J)  
By order of the Governor of Bihar,  
VINOD KUMAR SINHA, *Secretary*.

21 जून 2012

एस0ओ0 128, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-883/जे0, दिनांक 07.03.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मदन कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 07.03.2007 से 06.03.12 एवं 07.03.12 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6
श्री मदन कुमार	अधिवक्ता, अरेराज, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	07.03.2002	एल0एल0बी0	अरेराज अनुमंडल	

(सं0 सं0 ए0/नोट-13/2007/4790/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

21 जून 2012

एस0ओ0 129, एस0ओ 128, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/नोट-13/2007/4790/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

*The 21st June 2012*

S.O. 128, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Madan Kumar and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law

Department Notification No. 883/J dated 07.03.2007 to 06.03.2012 to practice as notary again for the next five years from 07.03.12.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Madan Kumar	Advocate, Areraj, East Champaran, Motihari	07.03.2002	L.L.B	Areraj Sub-division	

(File no. A/Not-13/07/4790/J)  
By order of the Governor of Bihar,  
VINOD KUMAR SINHA, *Secretary.*

27 जून 2012

एस0ओ0 130, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-13528/जे0, दिनांक 08.12.83 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री भरत प्रसाद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 08.12.2011 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6
श्री भरत प्रसाद सिंह	अधिवक्ता, नोटरी दरभंगा	08.12.83	बी0ए0 बी0एल0	दरभंगा जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-136/82/4950/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

27 जून 2012

एस0ओ0 131, एस0ओ 130, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-136/82/4950/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

*The 27th June 2012*

S.O. 130, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bharat Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 13528/J dated 08.12.83 to practice as notary again for the next five years from 08.12.2011.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Bharat Prasad Singh	Advocate, Notary Darbhanga	08.12.83	B.A B.L	Darbhanga District	

(File no. A/AB-136/82/4950/J)  
By order of the Governor of Bihar,  
VINOD KUMAR SINHA, *Secretary*.

27 जून 2012

एस0ओ0 132, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-822/जे0, दिनांक 24.02.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री हरिशचन्द्र झा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 24.02.10 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री हरिशचन्द्र झा	अधिवक्ता, नोटरी मधुबनी	24.02.94	बी0ए0 बी0एल0	मधुबनी जिला	

(सं0 सं0 ए0/नोट-106/92/4951/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

27 जून 2012

एस0ओ0 133, एस0ओ 132, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/नोट-106/92/4951/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

*The 27th June 2012*

S.O. 132, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Harishchandra Jha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 822/J dated 24.02.94 to practice as notary again for the next five years from 24.02.10.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Harishchandra Jha	Advocate, Notary Madhubani	24.02.94	B.A B.L	Madhubani District	

(File no. A/Not-106/92/4951/J)  
By order of the Governor of Bihar,  
VINOD KUMAR SINHA, *Secretary*.

27 जून 2012

एस0ओ0 134, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4119/जे0, दिनांक 18.09.92 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री दयानन्द राय, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 17.09.2011 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री दयानन्द राय	अधिवक्ता, नोटरी सिविल कोर्ट, सारण, छपरा	18.09.92	बी0ए0 बी0एल0	सारण जिला	

(सं0 सं0 ए0/ए0बी0-26/86/4952/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

27 जून 2012

एस0ओ0 135, एस0ओ0 134, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-26/86/4952/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

*The 27th June 2012*

S.O. 134, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dayanand Roy and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4119/J dated 18.09.92 to practice as notary again for the next five years from 17.09.2011.



Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Dayanand Roy	Advocate, Notary Saran (Chapra)	18.09.92	B.A B.L	Saran District	

(File no. A/AB-26/86/4952/J)  
By order of the Governor of Bihar,  
VINOD KUMAR SINHA,  
Secretary to Government.

27 जून 2012

एस0ओ0 136, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4173/जे0, दिनांक 02.12.98 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री नलिनी रंजन, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक-02.12.2011 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री नलिनी रंजन	अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय प0 चम्पारण, बेतिया	02.12.1998	बी0ए0 एल0एल0बी0	प0 चम्पारण जिला बेतिया	

(सं0 सं0 ए0/नोट-32/95/4953/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

27 जून 2012

एस0ओ0 137-एस0ओ 136 दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/नोट-32/95/4953/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

The 27th June 2012

S.O. 136, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Nalini Ranjan and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4173/J dated 02.12.1998 to practice as notary again for the next five years from 02.12.2011.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Nalini Ranjan	Advocate, West Champaran Bettiah.	02.12.1998	B.A L.L.B	West Champaran District	

(File no. A/Not-32/95/4953/J)  
By order of the Governor of Bihar,  
VINOD KUMAR SINHA, *Secretary*.

27 जून 2012

एस0ओ0 138, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2142/जे0, दिनांक 31.03.93 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सूर्यदेव तिवारी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 31.03.12 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री सूर्यदेव तिवारी	अधिवक्ता, नोटरी हथुआ गोपालगंज	31.03.93	बी0ए0 बी0एल0	हथुआ अनुमंडल	

(सं0 सं0 ए0/नोट-36/94/4954/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

27 जून 2012

एस0ओ0 139, एस0ओ0 138, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/नोट-36/94/4954/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

*The 27th June 2012*

S.O. 138, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Suryadeo Tiwary and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2142/J dated 31.03.93 to practice as notary again for the next five years from 31.03.12.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Suryadeo Tiwary	Advocate, Notary Hatua Gopalganj	31.03.93	B.A B.L	Hatua Subdivision	

(File no. A/Not-36/94/4954/J)  
By order of the Governor of Bihar,  
VINOD KUMAR SINHA, *Secretary*.

25 मई 2012

एस0ओ0 140, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3409/जे0, दिनांक 12.09.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राजेन्द्र झा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 12.09.03 से 11.09.08 एवं 12.09.2008 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री राजेन्द्र झा	अधिवक्ता, नोटरी झंझारपुर	12.09.2000	बी0ए0 बी0एल0	झंझारपुर अनुमंडल	

(सं0 सं0 ए0/नोट-22/98/4955/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

25 मई 2012

एस0ओ0 141, एस0ओ0 140, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/नोट-22/98/4955/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

*The 27th June 2012*

S.O. 140, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajendra Jha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3409/J dated 12.09.2000 to practice as notary 12.09.03 to 11.09.08 and again for the next five years from 12.09.08.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Rajendra Jha	Advocate, Notary Jhanjharpur	12.09.2000	B.A B.L	Jhanjharpur Subdivision	

(File no. A/Not-22/98/4955/J)  
By order of the Governor of Bihar,  
VINOD KUMAR SINHA, *Secretary*.

25 मई 2012

एस0ओ0 142, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2275/जे0, दिनांक-01.07.96 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शिवेन्द्र प्रताप, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 01.07.2012 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री शिवेन्द्र प्रताप	अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर	01.07.96	बी0ए0 एल0एल0बी0	मुजफ्फरपुर जिला	

(सं0 सं0 ए0/नोट-58/93/4956/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

25 मई 2012

एस0ओ0 143, एस0ओ 142, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

(सं0 सं0 ए0/नोट-58/93/4956/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

*The 27th June 2012*

S.O. 142, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shivendra Pratap and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2275/J dated 01.07.1996 to practice as notary again for the next five years from 01.07.2012.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Shivendra Pratap	Advocate, Notary Muzaffarpur	01.07.96	B.A L.L.B	Muzaffarpur District	

(File no. A/Not-58/93/4956/J)  
By order of the Governor of Bihar,  
VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचनाएं  
29 जून 2012

सं० 04/स्था/न०वि०-73/2008-2303-न०वि०एवं०आ०वि०—पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त कार्यपालक अभियंताओं को निम्न प्रकार से उनके नाम के सामने अंकित स्थान (कॉलम-3) पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्यपालक अभियंताओं का नाम	नव पदस्थापित स्थान
1	2	3
1	श्री ओमप्रकाश सिंह	जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना-1 (डूडा-1)
2	श्री पी०सी० राय	जिला शहरी विकास अभिकरण, पूर्णियाँ अतिरिक्त प्रभार, अररिया-डूडा
3	श्री अमलेन्दु कुमार रंजन	बिहार शहरी विकास अभिकरण, पटना (बुडा)
4	श्री किशोरी प्रसाद देव	जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा
5	श्री अजय कुमार	नगर निगम, पटना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डा० राजीव कुमार, उप-सचिव।

29 जून 2012

सं० 01/स्था/न०वि०-1-11/2010-2304-न०वि०एवं०आ०वि०—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अधीन प्रशासनिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित स्थान (कॉलम-4) पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
1	श्री चन्द्रशेखर नारायण	कार्यपालक पदाधिकारी, बांकीपुर अंचल, पटना नगर निगम	नगर परिषद, लखीसराय
2	श्री राजेश्वर झा	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, लखीसराय	नगर परिषद, डेहरी-ऑन-सोन (डालमियांनगर)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डा० राजीव कुमार, उप-सचिव।

## निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचनाएं

30 जून 2012

सं० III/ई<sup>1</sup>-101/2012-3123—श्री दिलीप कुमार दास, जिला अवर निबंधक, बक्सर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-101/2012-3124—श्री मनोज कुमार संजय, जिला अवर निबंधक, मुंगेर को अभ्यावेदन के आधार पर स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-101/2012-3125—श्री अमित सिन्हा, जिला अवर निबंधक, नवादा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, सुपौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-101/2012-3126—श्री राजकुमार झा, जिला अवर निबंधक, गोपालगंज को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, कैमूर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-101/2012-3127—श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, अवर निबंधक, मीरगंज (गोपालगंज) को अपने ही वेतनमान में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रभारी जिला अवर निबंधक, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-101/2012-3128—श्री वैद्यनाथ सिंह, अवर निबंधक, बेनीपट्टी (मधुबनी) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निबंधक, पुपरी (सीतामढ़ी) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-101/2012-3129—श्री शाहिद जमील अहमद, जिला अवर निबंधक, सुपौल को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-101/2012-3130—श्री राजकृष्ण झा, जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-101/2012-3131—श्री मनीष कुमार, अवर निबंधक, बलिया (बेगूसराय) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निबंधक, भूतही (सीतामढ़ी) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-101/2012-3132—श्री राकेश कुमार, अवर निबंधक, विक्रमगंज (रोहतास) को स्थानान्तरित करते हुए अपने ही वेतनमान में प्रभारी जिला अवर निबंधक, जमुई के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार, वर्तमान पदस्थापित जिला अवर निबंधक, जमुई श्री राधेश्याम राम की दिनांक 31.07.2012 को सेवा-निवृत्ति के पश्चात् प्रभार ग्रहण करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विजय रंजन, उप-सचिव।

30 जून 2012

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3133—श्री सरोज कुमार, प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर को पदस्थापन की प्रतीक्षा में मुख्यालय में योगदान देने का आदेश दिया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3134—श्री गणेश प्रसाद, अधीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3135—श्री प्रेमचन्द्र साहू, अधीक्षक उत्पाद, कटिहार को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अधीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3136—श्री राकेश कुमार नं० - 1 प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, लौरिया आ० गृह (प० चम्पारण) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3137—श्री प्रमोदित नारायण सिंह, प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, सुगौली आ० गृह (प० चम्पारण) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, हरिनगर आ० गृह (प० चम्पारण) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विजय रंजन, उप-सचिव।

30 जून 2012

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3138—श्री मनोज कुमार सिंह, निरीक्षक उत्पाद, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3139—श्री तारिक महमूद, निरीक्षक उत्पाद, रोहतास को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3140—श्री ओम प्रकाश, निरीक्षक उत्पाद, गया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, सिवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3141—श्री कामेश्वर सिंह, निरीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3141—मो० फैयाज अहमद, निरीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3142—श्री विवेक कुमार, निरीक्षक उत्पाद, वैशाली को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3143—श्री प्रियरंजन, निरीक्षक उत्पाद, पू० चम्पारण को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3144—श्री ललन प्रसाद हरिजन, निरीक्षक उत्पाद, सीतामढ़ी को प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3145—श्री संजीव कुमार ठाकुर, निरीक्षक उत्पाद, हरिनगर सुगर मिल्स, पूर्वी चम्पारण को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, अरवल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3146—श्री लाला अजय कु० सुमन, निरीक्षक उत्पाद, बांका को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup> - 102/2012 - 3147/श्री रजनीश, निरीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, पूर्वी चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री रजनीश सुगौली आ० गृह के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3148—श्री नीरज कुमार रंजन, निरीक्षक उत्पाद, शेखपुरा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3149—श्री सुरेन्द्र प्रसाद, निरीक्षक उत्पाद, सिवान को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3150—श्री प्रदीप कुमार, निरीक्षक उत्पाद, गोपालगंज को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3151—श्री प्रेम प्रकाश, निरीक्षक उत्पाद, सहरसा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, बांका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3152—श्री अशरफ जमाल, निरीक्षक उत्पाद, अररिया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3153—श्री केशव कुमार झा, निरीक्षक उत्पाद, किशनगंज को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3154—मो० मुस्ताक खॉं, मुख्यालय पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत निरीक्षक उत्पाद को अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, हरिनगर सुगर मिल्स, पूर्वी चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० III/ई<sup>1</sup>-102/2012-3155—श्री संजय कुमार राय, निरीक्षक उत्पाद, दरभंगा को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, सिवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विजय रंजन, उप-सचिव।

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

26 जून 2012

सं० 16/सी.1-37/2008- 535(दे०चि०)—डा० श्याम सुन्दर सिंह, उप-निदेशक (होमियोपैथी) देशी चिकित्सा निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को देशी चिकित्सा निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निदेशक (देशी चिकित्सा) के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रोन्नति देते हुए पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
बिमला प्रसाद, संयुक्त सचिव।

## वाणिज्य-कर विभाग

## अधिसूचना

30 जून 2012

सं० 6/गो0-34-03/2012-5264/वा0क0—श्री कमल किशोर चौधरी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद के पद पर नियुक्त किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-03/2012-5265/वा0क0—श्री मनोज कुमार वर्मा, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, फारविसगंज अंचल, फारविसगंज को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, फारविसगंज अंचल, फारविसगंज के पद पर नियुक्त किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-03/2012-5266/वा0क0—श्री शशिभूषण कुमार, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मधेपुरा अंचल, मधेपुरा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-03/2012-5267/वा0क0—श्री ओम प्रकाश गुप्ता, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मधुबनी अंचल, मधुबनी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2408 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-03/2012-5268/वा0क0—श्री अमर नाथ चौधरी, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, दरभंगा अंचल, दरभंगा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, फारविसगंज अंचल, फारविसगंज के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2464 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-03/2012-5269/वा0क0—श्री फिरोज आलम, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, मुंगेर अंचल, मुंगेर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, किशनगंज अंचल, किशनगंज के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2443 दिनांक 25.06.12 को रद्द को किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-03/2012-5270/वा0क0—श्री राजीव रंजन प्रसाद, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी, को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, शाहाबाद अंचल, आरा के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2460 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-03/2012-5271/वा0क0—श्री प्रभाकर प्रसाद सिंह, जिला लेखा पदाधिकारी, गया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, जमुई अंचल जमुई के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2463 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-03/2012-5272/वा0क0—श्री राजीव कुमार झा, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी, को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, मुंगेर अंचल, मुंगेर के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2467 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-03/2012-5273/वा0क0—श्री विकास कुमार पाण्डेय, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी, को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, मधेपुरा अंचल, मधेपुरा के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2466 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-03/2012-5274/वा0क0—श्री दीपक कानन, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, सासाराम अंचल, सासाराम के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2480 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-03/2012-5275/वा0क0—श्री अभिक अवतंस, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पटना दक्षिणी अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2483 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-03/2012-5276/वा0क0—श्री रंजीत कुमार रजक, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी, को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पटना पश्चिमी अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2472 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-03/2012-5277/वा0क0—श्री नवीन कुमार, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, प्रभारी, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, कदमकुआ अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2465 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-03/2012-5278/वा0क0—श्री ओम प्रकाश सिन्हा, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी, को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, रक्सौल अंचल, रक्सौल के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2457 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।

सं० 6/गो0-34-03/2012-5279/वा0क0—श्री राजेश पति त्रिपाठी, वाणिज्य-कर पदाधिकारी मधेपुरा अंचल, मधेपुरा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बाढ़ अंचल, बाढ़ के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2442 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।



सं० 6/गो०-34-03/2012-5280/वा०क०—श्री नरेश कुमार, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी, को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2444 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मो० शमीम, उप-सचिव ।

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचनाएं  
2 जुलाई 2012

सं० एल/एच०जी०-1525/2002-6047—बिहार गृह रक्षा वाहिनी के निम्नांकित जिला समादेष्टा को स्तम्भ (3) में अंकित पद से स्थानांतरित करते हुए स्तम्भ (4) में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन	अतिरिक्त प्रभार के जिला का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री जयंत प्रताप सिंह जिला समादेष्टा	जिला समादेष्टा, भागलपुर	जिला समादेष्टा, पटना	भोजपुर, बक्सर
2	श्री संदीप कुमार जिला समादेष्टा	जिला समादेष्टा, सीतामढ़ी	जिला समादेष्टा, सारण	सिवान, गोपालगंज
3	श्री आमिर इसरार जिला समादेष्टा	जिला समादेष्टा, नालंदा	जिला समादेष्टा, भागलपुर	बांका, नवगछिया
4	श्री त्रिलोक नाथ झा जिला समादेष्टा	जिला समादेष्टा, बेगूसराय	जिला समादेष्टा, मोतिहारी	बगहा, बेतिया
5	श्री रेयाजुल हक जिला समादेष्टा	जिला समादेष्टाय, वैशाली	जिला समादेष्टा, नालंदा	नवादा
6	श्री अनिल कुमार जिला समादेष्टा	जिला समादेष्टा, मोतिहारी	जिला समादेष्टा, मुंगेर	लक्खीसराय, शेखपुरा, जमुई,,
7	श्री मो० खतीबुल्ला जिला समादेष्टा	जिला समादेष्टा, पटना	जिला समादेष्टा, वैशाली	X
8	श्री कृष्ण कुमार पंडा जिला समादेष्टा	जिला समादेष्टा, औरंगाबाद	जिला समादेष्टा, बेगूसराय	खगड़िया, समस्तीपुर
9	श्री राणा अमरेन्द्र कुमार दीपक, जिला समादेष्टा	जिला समादेष्टा, मुजफ्फरपुर	X	पूर्व के अतिरिक्त शिवहर, सीतामढ़ी
10	श्री रवीन्द्र कुमार सिंह जिला समादेष्टा	जिला समादेष्टा, रोहतास	X	पूर्व के अतिरिक्त औरंगाबाद
11	श्री मनोज कुमार नट जिला समादेष्टा	जिला समादेष्टा, मुख्यालय	X	पूर्व के अतिरिक्त जहानाबाद, अरवल

2. उपरोक्त जिला समादेष्टागण अपने नाम के सामने स्तम्भ-5 में उल्लिखित जिलों के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

3. उपरोक्त जिला समादेष्टागण नए पदस्थापित पद पर योगदान करते हुए विभाग को शीघ्र प्रतिवेदित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
महाशंकर मिश्र, विशेष सचिव।

2 जुलाई 2012

सं० एल/एच०जी०-1550/2001-6048—बिहार गृह रक्षा वाहिनी के निम्नांकित प्रमंडलीय समादेष्टा/वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा को स्तम्भ (3) में अंकित पद से स्थानांतरित करते हुए स्तंभ (4) में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1	श्री मुरारी मोहन मिश्र/ वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा	प्रमंडलीय समादेष्टा, मुजफ्फरपुर	प्रमंडलीय समादेष्टा, पटना

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
2	श्री जुलियन टेटे/ वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा	प्रमंडलीय समादेष्टा, भागलपुर	प्रमंडलीय समादेष्टा, मुजफ्फरपुर
3	श्री रंजीत कुमार सिन्हा/ वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा	प्रमंडलीय समादेष्टा पटना	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा
4	श्री हरिनाथ झा/ वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा	प्रमंडलीय समादेष्टा, भागलपुर
5	श्री शिव प्रसाद मंडल/ प्रमंडलीय समादेष्टा	प्रमंडलीय समादेष्टा, सहरसा	प्रमंडलीय समादेष्टा, दरभंगा
6	श्री तेजनारायण खेड़वार/ प्रमंडलीय समादेष्टा	प्रमंडलीय समादेष्टा दरभंगा	विशेषगण, बिहटा
7	श्री विमल कुमार शांडिल्य/ नव प्रोन्नत प्रमंडलीय समादेष्टा	जिला समादेष्टा, सारण	प्रमंडलीय समादेष्टा, सहरसा
8	श्री पवन कुमार सिंह/ नव प्रोन्नत प्रमंडलीय समादेष्टा	जिला समादेष्टा, मुंगेर	विशेषगण, भागलपुर

2. वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा/प्रमंडलीय समादेष्टा नए पदस्थापित पद पर योगदान करते हुए विभाग को शीघ्र प्रतिवेदित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
महाशंकर मिश्र, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 17—571+100-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

# भाग-2

## बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सं० वन/पर्या०- 08/2012-364(ई०)/प०व०,  
पर्यावरण एवं वन विभाग

संकल्प

28 जून 2012

पर्यावरण एवं वन विभाग में योजना बजट तैयार करने, इसके तहत योजनाओं का सूत्रण, सरकार से स्वीकृति, कार्यान्वयन एजेंसी को आवंटन, कार्यों का अनुश्रवण एवं इस विषय से संबंधित सभी अन्य कार्यों का दायित्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार को दिया गया है।

इन कार्यों के संतोषप्रद ढंग से सम्पादन हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के कार्यालय में किसी प्रकार की तकनीकी संरचना सृजित नहीं है। हरियाली मिशन के तहत पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके फलस्वरूप योजनाओं का चयन, सूत्रण एवं अनुश्रवण का कार्य काफी अधिक हो जायेगा। अतएव,

- क्षेत्रों से प्राप्त योजनाओं की जांच एवं योजनावार समेकन
- योजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
- क्षेत्रीय कार्यान्वयन इकाइयों से समन्वय
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) को योजना निर्माण एवं अन्य संबंधित कार्यों में सहयोग के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) कार्यालय के अधीन एक तकनीकी कोषांग के गठन का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था।

2. उपर्युक्त कार्यों के सम्पादन हेतु सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार कार्यालय के अधीन एक तकनीकी कोषांग परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई (PPMU) के गठन का निर्णय लिया है।

3. **कोषांग की संरचना-** अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार कार्यालय में विभाग के कार्यों से सम्बंधित क्षेत्रों के तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्तियों को अनुबन्ध के आधार पर नियोजित कर इस पी०पी०एम०यू० कोषांग का गठन किया जायेगा। यह कोषांग भारतीय वन सेवा/बिहार वन सेवा के पदाधिकारी के अधीन कार्य करेगा तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) बिहार को प्रतिवेदित करेगा। इस पी०पी०एम०यू० कोषांग की संरचना निम्नवत् होगी :-

क्र०	पदनाम	संख्या
1	परियोजना प्रबंधन पदाधिकारी (Project Management officer)	2
2	कार्यक्रम प्रबंधक (Programme Manager)	4
3	तकनीकी पदाधिकारी (Technical officer)	6
4	आईटी० मेनेजर (IT Manager)	1
5	सिविल अभियन्ता (Civil Engineer)	1
6	सांख्यिकी (Statistician)	1
7	कम्प्यूटर ऑपरेटर (Computer Operator)	2
8	आशुलिपिक (Stenographer)	1

इस कोषांग को तत्काल वर्ष 2017 तक कार्यरत रखा जायेगा। तदोपरान्त आवश्यकता होने पर इसकी अवधि बढ़ाई जायेगी।

4. पी०पी०एम०यू० के सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता, दायित्व एवं मानदेय का निर्धारण :- इस कोषांग के विभिन्न पदधारकों की शैक्षणिक योग्यता दायित्व एवं मानदेय निम्नवत होंगे:-

क्रम संख्या	पद का नाम	दायित्व	शैक्षणिक योग्यता	अ. उम्र	मानदेय
1	परियोजना प्रबंधन पदाधिकारी संख्या-2	1. हरियाली मिशन के सभी कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करना। 2. हरियाली मिशन के विभिन्न अवयवों के बीच उदय का विभाजन। 3. मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित सभी योजनाओं का सुत्रण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य।	1. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल अथवा अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय (Deemed University) से वानिकी प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा 2. परियोजना तैयार करने, अनुश्रवण करने में दो वर्षों का अनुभव वाले को प्राथमिकता	40 वर्ष	40000 ₹ प्रति माह मानदेय। अनुबन्ध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान।
2	परियोजना प्रबंधक संख्या-4	1. हरियाली मिशन के तहत चल रही सभी योजनाओं का अनुश्रवण। 2. क्षेत्रीय कार्यालयों से समन्वय बनाना, सूचना संकलित करना एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) को संचालित योजनाओं के अनुश्रवण कार्य में सहयोग करना।	1. किसी मान्यता प्राप्त एवं ख्यातिपूर्ण संस्थान से :- (i) वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा संख्या-1 (ii) ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा संख्या-1 (iii) प्रोजेक्ट प्लानिंग एवं मैनेजमेंट के स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा धारक संख्या-1 (iv) वानिकी/कृषि संभाग से एग्री बिजनेस में प्रबंधन की स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा संख्या-1 2. अपने क्षेत्र में परियोजनाओं का कार्य करने के संबंध में न्यूनतम एक वर्ष अनुभव रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता	40 वर्ष	30000/- ₹ प्रति माह मानदेय अनुबन्ध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान
3(क)	तकनीकी पदाधिकारी (वानिकी) संख्या- 3	1. मिशन के अन्तर्गत प्राप्त सभी योजनाओं की तकनीकी जाँच। 2. मिशन के अन्तर्गत	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ मानित विश्वविद्यालय (Deemed University) से	35 वर्ष	20000/- ₹ प्रतिमाह मानदेय। अनुबन्ध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10

		योजनाओं के सूत्रण का कार्य करना।	वानिकी में स्नातक की डिग्री। स्नाकोत्तर को प्रथमिकता दी जाएगी।		प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान
3(ख)	तकनीकी पदाधिकारी (कृषि वानिकी) संख्या-2	1. मिशन के अन्तर्गत कृषि वानिकी से संबंधित प्राप्त योजनाओं की तकनीकी जाँच। 2. मिशन के अन्तर्गत योजनाओं का सूत्रण।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वानिकी में स्नातक के साथ-साथ कृषि वानिकी में विशिष्टता। स्नातकोत्तर को प्राथमिकता दी जायेगी।	35 वर्ष	20000/- ₹ प्रतिमाह मानदेय। अनुबन्ध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान
3(ग)	तकनीकी पदाधिकारी (पर्यावरण) संख्या-1	परियोजनाओं में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एवं संबंधित विषयों पर कार्य की जिम्मेवारी।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / मानित विश्वविद्यालय (Deemed University) से इन्भारमेन्टल साईन्स में स्नातक। स्नातकोत्तर को प्रथमिकता दी जाएगी।	35 वर्ष	20000/- ₹ प्रतिमाह मानदेय। अनुबन्ध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान
4	आई०टी० (मैनेजर) संख्या-1	विभागीय योजनाओं के सॉफ्टवेयर का निर्माण, प्रबंधन डाटा विश्लेषण, जी०पी०एस० सेल प्रबंधन, वेवसाईट प्रबंधन आदि विशिष्ट प्रकृति के कार्य।	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से अधियाचना के आधार पर	30 वर्ष	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से निर्धारित मानदेय पर/वर्तमान में मानदेय 30000 ₹ प्रतिमाह निर्धारित है।
5	सिविल अभियन्ता संख्या-1	विभाग से संबंधित सभी प्रकार के निर्माण एवं पूर्व से निर्मित संरचनाओं की मरम्मत एवं अनुरक्षण से संबंधित प्लान एवं प्राक्कलन तैयार करना, कार्यों का अनुश्रवण करना एवं गुणवत्ता नियंत्रण में विभागीय पदाधिकारियों की सहायता करना।	किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से सिविल इन्जीनियरिंग में 4 वर्षीय डिग्रीधारी स्नातक  <b>अथवा</b> बिहार सरकार की सेवा से सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता एवं ऊपर के स्तर के पदाधिकारी जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम हों।	30 वर्ष  65 वर्ष	20000/- ₹ प्रतिमाह मानदेय। अनुबन्ध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान  बिहार सरकार की सेवा से सेवा-निवृत्त सहायक अभियन्ता एवं ऊपर के पदाधिकारी को उनके अंतिम वेतन से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान
6	सांख्यिकी (Statistician) संख्या-1	योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त सभी सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण। 2. योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़ों का संधारण विश्लेषण एवं तदनुसार वार्षिक प्रतिवेदन	भारतीय सांख्यिकी संस्थान / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / मानित विश्वविद्यालय (Deemed University) से सांख्यिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री	30 वर्ष	18000/- ₹ प्रतिमाह मानदेय। अनुबंध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान

		तैयार करना। 3. बजट एवं आवंटन व्यय आदि विषयों से संबंधित जिम्मेदारी।			
7	कम्प्यूटर ऑपरेटर संख्या- 2	कार्यालय में कम्प्यूटर से संबंधित कार्य।	न्यूनतम इन्टर उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर ऑपरेशन में सार्टिफिकेट / MS EXCEL का ज्ञान अनिवार्य, किसी सरकारी कार्यालय में न्यूनतम दो वर्षों के अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता	40 वर्ष	10000/- ₹ प्रतिमाह मानदेय। अनुबन्ध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान
8	आशुलिपिक संख्या-1	आशुलेखन एवं टंकण कार्य।	न्यूनतम इन्टर उत्तीर्ण हिन्दी आशुलेखन का पूर्ण ज्ञान (80wpm) तथा टंकण का ज्ञान (30wpm) कम्प्यूटर ऑपरेशन का ज्ञान अनिवार्य	40 वर्ष	12000/- ₹ प्रतिमाह मानदेय। अनुबन्ध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान

#### 5. सेवा की शर्तें

- (1) चयन के पश्चात् प्रारम्भ में 12 (बारह) महीनों के लिये संविदा के आधार पर नियोजन किया जायेगा।
- (2) नियोजनार्थी के काम काज की समीक्षा छः माह पर की जायेगी एवं असंतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में एक माह के नोटिस / मानदेय देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
- (3) संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अनुबंध को नवीकृत किया जा सकेगा।
- (4) कडिका 4 में निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (5) यह नियोजन पूर्णतः अस्थाई होगा तथा भविष्य के लिये नियमित नियुक्ति का आधार नहीं बन सकेगा।

**6. चयन की प्रक्रिया-**चयन हेतु समाचार पत्रों एवं सरकार के वेबसाईट पर विज्ञापन का प्रकाशन किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उपरान्त योग्य आवेदकों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। इस साक्षात्कार एवं चयन के लिये निम्नवत् विभागीय समिति गठित की जायेगी :-

- |  |                   |
|--|-------------------|
| (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार -                   | <b>अध्यक्ष</b>    |
| (2) मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना प्रशिक्षण एवं विस्तार, बिहार - | <b>सदस्य</b>      |
| (3) मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार -       | <b>सदस्य सचिव</b> |

समिति द्वारा विभिन्न कोटियों के योग्य व्यक्तियों के चयन के पश्चात् मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार द्वारा उन्हें नियोजन सम्बंधी आदेश निर्गत किया जायेगा। निर्धारित अर्हता एवं योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के नहीं मिलने, इनके नियोजन या मानदेय निर्धारण से सम्बंधित अथवा किसी अन्य प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में विभाग द्वारा अर्हता, योग्यता एवं मानदेय निर्धारण के साथ-साथ अन्य कठिनाईयों के निवारण हेतु निर्णय लिया जा सकेगा। इस नियोजन में बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आरक्षण सम्बंधी नियमों एवं आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

आई०टी०(मैनेजर) बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा अनुमोदित पैनल से लिया जायेगा। कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं आशुलिपिक बेल्ट्रोन के माध्यम से भी लिया जा सकेगा।

**7. अनुमानित व्यय-** एक वर्ष के लिये वित्तीय लक्ष्य निम्नवत् होगा :-

(₹ लाख में)

क्र०	पद	वेतन	कुल
1	परियोजना प्रबंधन पदाधिकारी (तकनीकी) (Project Management officer (Technical))	2x40000x12	9.60
2	कार्यक्रम प्रबंधक (Programme Manager)	4x30000x12	14.40
3	तकनीकी पदाधिकारी (Technical officer)	6x20000x12	14.40
4	आई०टी० (मैनेजर) I.T. (Maneger)	1x30000x12	3.60
5	सिविल अभियन्ता (Civil Engineer)	1x20000x12	2.40

6	सांख्यिकी (Statician)	1x18000x12	2.16
7	आशुलिपिक (Stenographer)	1x12000x12	1.44
8	कम्प्यूटर ऑपरेटर (Computer Operator)	2x10000x12	2.40
<b>कुल</b>			<b>50.40</b>

**8. निधि का श्रोत**— यह व्यय राज्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष— 2406— वानिकी तथा वन्य प्राणी, उपमुख्य शीर्ष— 01— वानिकी, लघु भीर्ष— 800— अन्य व्यय, मांग संख्या— 19, उप भीर्ष— 0101— नहर तट फार्म, विपत्र कोड— पी०2406018000101 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
दीपक कुमार सिंह, सचिव।

—  
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 17—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

# भाग-9 (ख)

## निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

### अधीक्षक का कार्यालय

पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना

### निविदा सूचना

सं० 8648—वर्ष 2012—2013 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में अन्तर्वासीय मरीजों के लिए आकास्मिक परिस्थिति में जो अस्पताल में दवा, सर्जिकल सामग्री आदि उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में स्थानीय बाजार से क्रय कर दवा की आपूर्ति की जाती है। इसलिए ड्रग लाईसेंस दवा दुकान से क्रय हेतु बिहार वाणिज्य-कर एवं ड्रग लाईसेंस में निबंधित इच्छुक निविदादाता (आपूर्तिकर्ता/निर्माता/प्राधिकृत विक्रेता) से मुहरबंद टंकित निविदा प्रकाशन की तिथि से 10 (दस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु बिहार सरकार के वेबसाईट सं०—[www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) एवं [www.pmch.in](http://www.pmch.in) पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी एवं सूची प्राप्ति हेतु किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जो निविदादाता का दर एम0आर0पी0 से न्यूनतम पाये जाने वाले निविदादाता का दर अनुमोदित किया जायेगा। जिन निविदादाता का दर अनुमोदित किया जायेगा उनका दुकान 24 घंटे खुला रहने का कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से शपथ पत्र देना होगा।

### निविदा शर्त एवं सामग्रियों की सूची :

1. निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष संख्या तकनीकी निविदा में अंकित करना होगा।
2. निविदा दो प्रकार की होगी, तकनीकी एवं वित्तीय जो अलग-अलग लिफाफे में मुहरबन्द दिया जायेगा। एक ही लिफाफे में दोनों निविदा देने पर स्वतः रद्द समझा जायेगा। तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता को स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करना होगा।
3. निविदादाता को बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित होना चाहिए एवं दर अनुमोदन के पश्चात् वाणिज्य-कर से प्राप्त अद्ययत्न प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
4. निविदादाता को आयकर में निबंधन एवं अद्ययत्न अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता को ड्रग लाईसेंस में निबंधन एवं अद्ययत्न अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
6. अग्रधन के रूप में 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये का एन०एस०सी०/बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पदनाम से प्रतिभूत होगा। तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा।
7. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा। हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निविदादाता किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दण्डित नहीं किये गये हैं इस आशय का शपथ पत्र (मूल प्रति) कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा।
9. निविदादाता का दर एम0आर0पी0 से जिसका अधिक न्यूनतम दर (प्रतिशत में) पाया जायेगा उनका निविदा पर विचार किया जायेगा।
10. जो निविदादाता का दर स्वीकृत किया जायेगा उनका दुकान 24 घंटे खुला रखने का शपथ-पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा। उन्ही के निविदा पर विचार किया जायेगा।
11. निविदादाता को दवा की आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के दो घंटे के अंदर आपूर्ति करना होगा।
12. निविदादाता को व्यादेश उपलब्ध होने के उपरांत ससमय दवा आपूर्ति नहीं करने पर 500 (पांच सौ) रुपये प्रतिदिन आर्थिक दण्ड दिया जायेगा।



13. जिस निविदादाता का दर अनुमोदित होगा एवं दवा की आपूर्ति करेंगे उनके विपत्र का भुगतान प्रतिमाह दवा मद में उपलब्ध आवंटन रहने की स्थिति में की जायेगी।
14. क्रय समिति में तकनीकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा एवं क्रय समिति को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. निविदादाता का फर्म/दुकान पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के परिसर से दो किलोमीटर के अन्दर होना अनिवार्य होगा।
16. किसी भी विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।

स्थान :- पटना  
दिनांक :- 25 जून 2012

(ह०)—अस्पष्ट,  
अधीक्षक।

सूचना

No. 1065—I, N.K. Verma, S/o Late Tilakdhari Prasad resident of Boring Road Patna declare that my daughter Soumya student of Class x of Notredame Academy will now ad title Verma in her name and henceforth will be called as Soumya Verma vide affidavit no. 926 dtd. 15-06-2012.

N.K. VERMA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 17—571+20-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>